निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 34

31 भाद्र 1943 (श0)
पटना, बुधवार,
22 सितम्बर 2021 (ई0)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1–नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-13
भाग-1-क–स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख–मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग–शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2–बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---
भाग-3–भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4–बिहार अधिनियम	---
भाग-5–बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7–संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8–भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9–विज्ञापन	---
भाग-9-क–वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख–निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	14-16
पूरक	---
पूरक-क	17-18

भाग–1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

शिक्षा विभाग

अधिसूचना

10 सितम्बर 2021

सं0 15/एम 1–92/2019 (खण्ड 1)–1937––बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के कार्य संचालन हेतु बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा निम्नांकित कार्य संचालन नियमावली बनाते है :–

अध्याय–1

1. प्रारम्भिक

(1) यह नियमावली ''बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग कार्य संचालन नियमावली, 2021'' कहलाएगी।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।

(3) **परिभाषाएँ** – इस नियमावली में जब तक कोई बात विषय अथवा संदर्भ के विरूद्ध न हो;

(क) ''अध्यक्ष'' से अभिप्रेत है बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम ,2017 के अधीन नियुक्ति आयोग का अध्यक्ष।

(ख) ''आयोग'' से अभिप्रेत है बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग और इसके अन्तर्गत यथास्थिति अध्यक्ष तथा अन्य सभी सदस्य हैं।

(ग) ''समिति'' से अभिप्रेत है बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम, 2017 के अधीन गठित समिति।

(घ) ''सदस्य'' से अभिप्रेत है बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम, 2017 के अधीन आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति।

(ड0) ''नियमावली'' से अभिप्रेत है बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग कार्य संचालन नियमावाली, 2021 ।

(च) ''सेवा'' से अभिप्रेत है कोई सेवा और पद से अभिप्रेत है आयोग के परामर्श से की गयी नियुक्ति।

(छ) ''सचिव'' से अभिप्रेत है राज्यपाल द्वारा नियुक्त आयोग का सचिव, छुट्टी पर रहने के कारण अथवा अन्यथा सचिव की अनुपस्पिति के दौरान अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत वरिष्ठतम पदाधिकारी सचिव के कार्यों का निष्पादन करेगा।

अध्याय – II

2. आयोग के कार्य का आवंटन

2.1 आयोग, अध्यक्ष अथवा इस नियमावली से संलग्न, ''अनुसूची'' में विनिर्दिष्ट सदस्यों की समिति द्वारा आयोग का कार्य किया जाएगा।

2.2 उप–नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अध्यक्ष यदि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन समझे यह निदेश दे सकेगा कि कोई विशेष अथवा कार्य निष्पादन के लिए आयोग के समक्ष रखा जाय।

2.3 कोई अन्य कार्य जो अनुसूची सहित नियमावली में विनिर्दिष्ट नहीं हो, आयोग अथवा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत सदस्यों की समिति द्वारा किया जाएगा।

2.4 अध्यक्ष अपने द्वारा मनोनीत सदस्यों की समिति को कोई संचिका जाँच हेतु पृष्ठांकित कर सकेगा।

2.5 ऊपर उप–नियम (2.4) के अधीन गठित समिति की अनुशंसा को किसी कार्रवाई के पूर्व अध्यक्ष के समक्ष रखी जाएगी। समिति के सदस्यों के बीच मतभिन्नता की दशा में अध्यक्ष उसे आयोग को विचार–विमर्श अथवा अंतिम निर्णय के लिए भेज सकेगा। यदि सदस्यों के बीच मतभिन्नता न हो तो समिति की अनुशंसा अध्यक्ष के अनुमोदन के पश्चात् अंतिम होगी और इसे आयोग का निर्णय माना जाएगा सिवाय उन मामलो के जहाँ आयोग का कार्य ''अनुसूची'' की धारा –II में यथाविनिर्दिष्ट एक निकाय के रूप में आयोग द्वारा किया जाता हो। ऐसे मामलों में समिति की अनुशंसा आयोग के अध्यक्ष के समक्ष अंतिम निर्णय के लिए रखी जाएगी।

अध्याय–III

3. आयोग के मूल कार्य

3.1. आयोग का मूल कार्य विश्वविद्यालय और सरकारी महाविद्यालयों में शिक्षकों के पद पर नियुक्ति करने के लिए अभ्यर्थियों का चयन और अनुशंसा करना होगा।

3.2. अभ्यर्थी, जिनका आवेदन सही पाया जाता हो के चयन के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था करना तथा वृत्ति (कैरियर) और/अथवा मौखिक जाँच/अध्यापन कौशल में प्राप्त अंकों के आधार पर उतनी संख्या में अभ्यर्थियों की मेघा सूची तैयार करना जो आयोग द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

3.3. अभ्यर्थियों के आवेदन की संवीक्षा के लिए अध्यक्ष द्वारा एक पदाधिकारी को प्रभारी के रूप में प्राधिकृत किया जाएगा जो उप सचिव से नीचे की पंक्ति का नहीं होगा। वह ऐसे सभी कर्तव्यों और कृत्यों का निष्पादन करेगा जो उसे अध्यक्ष द्वारा सौंपे जायें।

3.4. साक्षात्कार बोर्ड के लिए एक समिति गठित की जाएगी जिसमें अध्यक्ष द्वारा मनोनीत सदस्य और विषय–विशेषज्ञ होंगे।

3.5. प्रभारी पदाधिकारी उचित ढंग से और समय पर साक्षात्कार कराने, मेधा सूची तैयार करने, परीक्षाफल प्रकाशित करने तथा उसकी गोपनीयता को बरकरार और सुनिश्चित रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

3.6. जब तक अन्यथा विहित न हो, अभ्यर्थी की अनुशंसा से संबंधित सभी संविदा लिखित में होगी तथा सभी दस्तावेज और अभिलेख आयोग की ओर से प्रभारी पदाधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जायेंगे। ऐसे सभी अभिलेख प्रभारी पदाधिकारी की व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखे जायेंगे।

3.7. अभ्यर्थी की अनुशंसा से संबंधित सभी व्यवस्थाएँ उन निदेशों के अनुसार प्रभारी पदाधिकारी द्वारा की जायेंगी जो अध्यक्ष द्वारा निर्गत किए जायें।

3.8. सम्यक् रूप से तैयार की गयी मेधा सूची जाँच के लिए अध्यक्ष द्वारा मनोनीत तीन सदस्यों की समिति के समक्ष रखी जाएगी। समिति द्वारा जाँच किए जाने के पश्चात् इसे आयोग के समक्ष रखा जाएगा और अनुमोदनोपरान्त आयोग के सचिव के द्वारा इसे सरकार के सम्बद्ध विभाग को अग्रसारित किया जाएगा।

अध्याय–IV

4. चयन द्वारा भर्त्ती

4.1. शिक्षकों के पद पर अनुशंसा के लिए विभाग से माँग प्राप्त हो जाने के पश्चात् आयोग रिक्तियों की संख्या विज्ञापित करेगा तथा माँग में दिए गए ब्यौरे के अनुसार आवेदन आमंत्रित करेगा।

4.2 ऐसे विज्ञापन से प्राप्त आवेदन की संवीक्षा कार्यालय के पदाधिकारी जो उप सचिव के नीचे की पंक्ति का न हो, द्वारा की जाएगी और तत्पश्चात् अध्यक्ष द्वारा मनोनीत तीन सदस्यों की समिति के समक्ष इसे रखा जाएगा। मत भिन्नता नहीं होने की दशा मे साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों का चयन आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। यदि मतभिन्नता हो तो अध्यक्ष इस विषय को अंतिम निर्णय के लिए आयोग को भेज सकेगा।

4.3 यदि विज्ञापन से प्राप्त आवेदनों की संख्या अधिक हो तो साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने हेतु अभ्यर्थियों की लधु सूची तैयार करने के लिए निम्नलिखित मापदंड अपनाया जाएगा।

4.3.1 साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों का चयन उनके वृत्ति (कैरियर) अंकों के आधार पर किया जाएगा, जिसकी गणना स्नातक से आगे अंतिम परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर होगी।

4.3.2 साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या समय–समय पर आयोग द्वारा विनिश्चित की जाएगी।

4.3.3 अंतिम मेधा सूची तैयार की जाएगी और अध्यक्ष द्वारा मनोनीत तीन सदस्यों की समिति के समक्ष इसे जाँच के लिए रखी जाएगी। समिति द्वारा जाँच किये जाने के पश्चात यह आयोग के समक्ष रखी जाएगी और अनुमोदनोपरान्त सचिव द्वारा सरकार के सम्बद्ध विभाग को अनुशंसा भेज दी जाएगी।

अध्याय–V

5. आयोग की बैठकों की कार्यवाहियाँ

5.1 आयोग के सभी निर्णय सचिव अथवा अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत अन्य किसी पदाधिकारी द्वारा बैठक में ही अभिलिखित किये जायेंगे। यदि कोई सदस्य निर्णय से विसम्मत हो तो तथ्य कार्यवाही में अभिलिखित किया जाएगा। सदस्य को यह स्वतंत्रता होगी कि वह अलग से भी अपनी विसम्मत टिप्पणी प्रस्तुत करे तथा इसे सचिव अथवा सचिव का कार्य कर रहे पदाधिकारी द्वारा परिरक्षित रखा जाएगा।

5.2 यदि किसी मामले में सर्वसम्मति नहीं होती है तो अध्यक्ष सहित उपस्थित तथा मतदान करनेवाले सदस्यों के बहुमत का निर्णय आयोग का निर्णय होगा। बराबर मत आने की दशा में अध्यक्ष के पास दूसरा निर्णायक मत होगा।

सचिव/पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और अध्यक्ष द्वारा संपुष्ट बैठक की कार्यवाही, आयोग की अगली बैठक में संपुष्ट की जाएगी।

5.3 आयोग का निर्णय सचिव अथवा आयोग के वरिष्ठतम पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पत्र के माध्यम से संसूचित किया जाएगा।

5.4 जब निर्णय सर्वसम्मत नहीं हो तो जब तक कि आयोग निदेश न दे, तथ्य अथवा विसम्मति का आधार सरकार को संसूचित नहीं किया जाएगा।

5.5 यदि किसी निर्वचन में संदेह उत्पन्न हो तो यह निर्णय के लिए आयोग को भेजा जाएगा।

अध्याय–VI

6. प्रकीर्ण

6.1 न्यायालय के मामलों की दशा में आयोग पर उसके सचिव अथवा सचिव का कोई अथवा सभी कार्य कर रहे किसी पदाधिकारी के माध्यम से वाद चलाया जाएगा।

6.2 कोई विषय जो इस नियमावाली अथवा सरकार के किसी विशिष्ट नियमावली से आच्छादित नहीं है, उस पर अध्याय II के उप–नियम (2.5) में बनाए गय उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

अनुसूची I

अध्यक्ष द्वारा किए जाने वाले कार्य

1. सामान्य प्रशासन, बजट की स्वीकृति और अन्य वित्तीय विषय।
2. आयोग के कार्यों का समन्वय जिसके अन्तर्गत आयोग की बैठक बुलाना है।
3. राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष का सम्मेलन और अन्य राज्यों के साथ पत्राचार।
   अध्यक्ष अपनी ओर से सम्मेलन में भाग लेने के लिए आयोग के सदस्य को मनोनीत कर सकेगा।
4. साक्षात्कार बोर्ड का गठन।
5. आयोग/साक्षात्कार बोर्ड की सहायता के लिए परामर्शियों/विशेषज्ञों का चयन।
6. साक्षात्कार की तिथियाँ नियत करना।
7. मुकदमेबाजी से संबंधित सभी विषय जिसमें आयोग पक्षकार हो और इसमें वकीलों को रखने तथा विधिक खर्चे की प्रतिपूति शामिल है।
8. आवश्यकता के लिए विज्ञापन और अधिसूचना तथा समाचार पत्रों का चयन जिसमें विज्ञापन प्रकाशित हों।
9. चयनित अभ्यर्थियों की अनुशंसा का अनुमोदन।
10. सदस्यों के बीच आयोग के कार्यों का आवंटन।
11. तंत्र का विकास और डाटा प्रसंस्करण के तकनीकी पहलू और इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रसंस्करण शाखा से संबंधित अन्य कार्य।

अनुसूची II

आयोग द्वारा किए जाने वाले कार्य

1. आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन।
2. कोई मामला जिसमें नई नीति बनाना अपेक्षित हो।
3. कोई मामला जिसमें वर्त्तमान नीति में संशोधन/पुनरीक्षण करना अपेक्षित हो।
4. अपने कार्यों को करने के लिए आयोग की कार्य संचालन नियमावली बनाना तथा वर्त्तमान कार्य संचालन नियमावली में काई संशोधन अथवा परिवर्त्तन करना।
5. आयोग के कार्यक्षेत्र से अलग करने अथवा आयोग के कार्यों के विस्तार के लिए प्रस्ताव।
6. कोई अन्य विषय जिसे अध्यक्ष आयोग के समक्ष विचार और निर्णय के लिए रखना चाहे।

अनुसूची III

सदस्यों की समिति द्वारा किए जाने वाले कार्य

1	अभ्यर्थी के निर्दिष्ट आवेदन की संवीक्षा	अध्यक्ष द्वारा मनोनीत तीन सदस्य
2	अपनी अभ्यर्थिता की अस्वीकृति अथवा अन्य किसी शिकायत के संबंध में अभ्यर्थियों से याचिका	अध्यक्ष द्वारा मनोनीत तीन सदस्य
3	शोध से संबंधित मामले	अध्यक्ष द्वारा मनोनीत तीन सदस्य
4	न्यायालय के मामलों में प्रति शपथपत्र दाखिल करने के लिए तथ्य विवरणी की संवीक्षा	अध्यक्ष द्वारा मनोनीत तीन सदस्य
5	इस नियमावली से अनाच्छादित कोई अन्य विषय	अध्याय II के उप नियम (2.5) में में बनाए गए उपबंधों के अनुसार।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अरशद फिरोज, उप–सचिव।

The 10th September 2021

No. 15/M 1-92/2019 (Part 1)-1937--The Governor of Bihar hereby makes the following rules of procedure for the conduct of the work of Bihar State University Service Commission.

CHAPTER-1

1. Preliminary

(1) These rules shall be called "The Bihar State University Service Commission Rules of Procedure, 2021".

(2) It shall come into force from the date of publication in the official Gazette.

(3) **Definitions -** In these Rules unless there is anything repugnant in the subject or the context:

(a) "Chairman" means the chairman of the commission appointed under Bihar State University Service Commission Act, 2017

(b) "Commission" means the Bihar State University Service Commission and includes the chairman and all other members, as the case may be, shall constitute the "commission."

(c) "Committee" means the committee constituted under The Bihar State University Service Commission Act, 2017.

(d) "Member" means a person appointed as a member of the commission under The Bihar State University Service Commission Act-2017.

(e) "Rules" means the Bihar State University Service Commission Rules of procedure, 2021"

(f) " Service " mean a service and a post means appointment made in consultation with the commission.

(g) "Secretary" means the secretary of the commission appointed by the Governor, during the absence of the Secretary on account of his being on leave or otherwise the senior most officer authorized by the Chairman will perform the functions of the Secretary.

CHAPTER-II

2. Allocation of business of the Commission

2.1 The business of the Commission shall be transacted by the commission, the Chairman or a Committee of Members specified in the 'Schedule' appended to these Rules.

2.2 Notwithstanding anything contained in sub-Rule (1), the chairman may, if he considers necessary or expedient to do so in public interest, direct that any Particular matter or business be placed before the commission for disposal.

2.3 Any other business not specified in the Rules, including the 'Schedule' shall be transacted by the Commission or a Committee of members nominated by the chairman.

2.4 The Chairman may endorse any file to a Committee of members nominated by him to examine it.

2.5 The recommendation of the Committee constituted under sub-rule (2.4) above shall be put up before the Chairman before any action thereon is taken. In case of difference of opinion among the members on the Committee, the Chairman may refer the matter to the commission for deliberation and final decision. If there is no difference of opinion among the members, the recommendation of the committee, after the approval of the chairman, shall be final and deemed to be the decision of the commission except in those cases where the business of the Commission has to be transacted by the commission as a body, as specified in section-II of the 'schedule'. In such cases the recommendation of the committee shall be placed by the chairman of the commission for final decision.

CHAPTER-III

3. Basic Functions of the Commission

3.1 The basic functions of the Commission shall be to select and recommend Candidates to appoint them on the post of Teachers in University and Government colleges.

3.2 Make all arrangements for the selection of the candidates whose applications are found to be in order and prepare a list in order of merit of such number of candidates as the commission may determine from time to time on the basis of marks secured in the careers and/or oral test/teaching skill.

3.3 An officer not below the rank of a Deputy Secretary shall be authorized by the chairman to be incharge of the scrutiny of application of candidates. He shall perform all such duties and functions as are entrusted to him by Chairman.

3.4 A Committee shall be constituted consisting of members and subject experts nominated by Chairman for Interview board.

3.5 The officer in charge shall be responsible for the proper and timely conduct of interview, preparation of merit list and Publication of results and for maintaining and ensuring secrecy thereof.

3.6 Unless otherwise prescribed, all contracts related to recommendation of candidate shall be in writing and all documents and records shall be authenticated by the officer incharge on behalf of the Commission. All such records shall be kept in the personal custody of the officer incharge.

3.7 All arrangements related to recommendation of candidate shall be made by the officer in charge in accordance with such directions as may be issued by the Chairman.

3.8 The merit list duly prepared shall be put up before a Committee of three member nominated by the Chairman for checking. After the Committee has checked it, it shall be placed before the Commission and after approval it shall be forwarded by the Secretary of the Commission to the concerned department of the Government.

CHAPTER-IV

4. Recruitment by selection

4.1 For recommendation to the post of teachers, the commission, after receiving requisitions from the department shall advertise the number of vacancies and invite applications in accordance with the details given in the requisitions.

4.2 Applications received in response to such advertisements shall be scrutinised by the office Personnel up to the level of an officer not below the rank of the deputy secretary and thereafter put up before a committee of three members nominated by chairman. In case there is no difference of opinion, the selection of candidates for interview shall be approved by the commission. If there is a difference of opinion the chairman may refer the matter to the Commission for final decision:

4.3 If the number of applicants in response to an advertisement is rather large the following criteria for short listing of the candidates for being called for interview shall be adopted:

4.3.1 The candidates shall be selected for interview on the basis of their career marks to be calculated on the basis of percentage of marks obtained in end examination from graduation onwards.

4.3.2 The number of candidates to be called for interview will be decided by the commission from time to time.

4.3.3 The final merit list shall be prepared and put up before a Committee of three Members nominated by the Chairman for checking. After the Committee has checked it, it shall be put up before the commission and after approval the recommendation shall be sent by the Secretary to the concerned department of the Government.

CHAPTER V

5. Proceedings of the meetings of the commission.

5.1. All decisions of the commission shall be recorded in the meeting itself by the secretary or any other officer authorized by the chairman. If any member dissents from any decision, the fact shall be recorded in the proceeding. The member will be at liberty to submit his note of dissent separately also and it shall be preserved by the secretary or the officer discharging the functions of the secretary.

5.2 If unanimity over an issue eludes, the decision of the majority of members present and voting, including the chairman, shall be the decision of the commission. In case of an equal division of votes, the chairman shall have a second casting vote.

The proceedings of the meeting, signed by the secretary/officer and confirmed by the chairman, shall be confirmed in the next meeting of the commission.

5.3 The decision of the commission shall be communicated through a letter signed by the secretary or by the senior most officer of the commission.

5.4 When the decision is not unanimous, neither the fact nor the ground of dissent shall be communicated to the Government unless the commission so directs.

5.5 If any doubt arises with regard to any interpretation, it shall be referred to the commission for decision.

CHAPTER VI

6. Miscellaneous

6.1 In the event of court cases, the commission shall be sued through its secretary or any officer discharging any or all functions of the secretary.

6.2 Any matter that has not been covered by these rules or by any specific rules of the Government shall be dealt with in accordance with the provisions made in sub rule (2.5) of chapter II.

Schedule I

Business to be transacted by the Chairman.

1. General administration, sanction of budget and other financial matters.
2. Co-ordination of commission's work including convening of the meeting of the commission.
3. Conference of Chairman of State University Service Commissions and correspondence with other state. The Chairman may nominate a member of the Commission to attend the conference on his behalf.
4. Formation of Interview Boards.
5. Selection of Advisors/Experts to assist the Commission/the Interview Boards.
6. Fixation of the dates of interview.
7. All matters relating to litigations in which the commission is a party, including the engagement of lawyers and reimbursement of legal expenses.
8. Advertisements and notification for requirement and selection of newspapers in which advertisements are to be published.
9. Approval of recommendation of selected candidates.
10. Allocation of business of the Commission among the members.
11. System development and other works pertaining to technical aspect of Data Processing and Electronic Data Processing Branch.

Schedule II

Business to be transacted by the Commission.

1. Annual Report of the Commission.
2. Any case in which a new policy is required to be formulated.
3. Any case in which the existing policy is required to be amended/revised.
4. Framing of Rules of Procedure of the Commission to transact its business and any amendment or modification of the existing rules of Procedure.
5. Proposals for exclusion from Commission's purview or extension of functions of the commission.
6. Any other matter which the Chairman may like to place before the Commission for deliberation and decision.

Schedule III

Business to be transacted by a Committee of Member.

1.	Scrutiny of referred application of candidate	-	Three Member nominated by the Chairman
2.	Petitions from candidates with regard to the rejection of their candidature or any other grievance.	-	Three Member nominated by the Chairman
3.	Issues related to research	-	Three Member nominated by the Chairman
4.	Scrutiny of statement of Facts to file counter affidavit in Court cases.	-	Three Member nominated by the Chairman
5.	Any other matter not covered by these rules	-	According to the provisions made in sub-rule (2.5) of chapter-II.

By the order of Governer of Bihar,
Arshad Firoz, *Deputy Secretary.*

मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

अधिसूचना

15 सितम्बर 2021

सं0 8/आ0 (राज0उ0)–02–09/2021–3417––श्री लाला अजय कुमार सुमन, अधीक्षक मद्यनिषेध, प0 चंपारण, बेतिया के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, प0 चंपारण, बेतिया के पत्रांक–229 दिनांक 06.08.2021 द्वारा बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 (यथा संशोधित) के क्रियान्वयन में शिथिलता बरतने, निदेशों का अनुपालन नही करने, समीक्षात्मक बैठक में त्रुटिपूर्ण डाटा समर्पित करने के प्रतिवेदित आरोप के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9(1) (क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय उपायुक्त मद्यनिषेध कार्यालय, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा निर्धारित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में उन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–10(1) के अंतर्गत नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
विनय कुमार, संयुक्त सचिव।

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचनाएं

14 सितम्बर 2021

सं0 ग्रा0वि0-14(म0)अर0-01/2020–564752––श्री राजेश कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कुर्था, अरवल के विरूद्ध वर्ष 2019 में बाल विकास परियोजना कार्यालय, कुर्था

में Take House Ration (THR)/Hot Cooked Meal (HCM) वितरण नहीं किए जाने की लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता के लिए समाज कल्याण विभाग के पत्रांक-2365 दिनांक 22.06.2021 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त है ।

आरोप के आलोक में श्री कुमार द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री कुमार द्वारा स्पष्ट किया गया कि प्राप्त आवंटन के आलोक कुर्था परियोजना में Hot Cooked Meal दिनांक 15.05.2019 तक वितरित किया गया। उसके बाद Hot Cooked Meal बंद हो गया । CFMS प्रक्रिया के तहत तकनीकी कठिनाईयाँ, विपत्र तैयार करने की प्रक्रिया एवं लोक सभा चुनाव में व्यस्तता के कारण विपत्र तैयार करने में विलंब हुआ ।

आरोप पत्र में गठित आरोप एवं स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई । समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री राजेश कुमार द्वारा THR का वितरण नहीं होने एवं Hot Cooked Meal बंद होने को स्वीकार किया गया है ।

अतएव श्री राजेश कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कुर्था, अरवल के विरूद्ध सरकार द्वारा चलाई जा रही लोक कल्याणकारी योजनाओं में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के लिए ''चेतावनी का दंड'' अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्री राजेश कुमार के चारित्री पुस्तिका/सेवा पुस्त में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगन डी०, सचिव।

---

14 सितम्बर 2021

सं० ग्रा०वि०-14(द०) मधु०-03/2019 (पार्ट)–564081––श्री तेज प्रताप त्यागी, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मधेपुर, मधुबनी के विरूद्ध प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण), इंदिरा आवास योजना, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, मुख्यमंत्री सात निश्चय योजनाओं के क्रियान्वयन में घोर शिथिलता एवं लापरवाही बरतने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का कार्यान्वयन नहीं करने, सरकारी मोबाईल पर सम्पर्क करने पर मोबाईल रिसिभ नहीं करने और न ही कोई प्रत्युत्तर देकर सरकारी कार्य में लापरवाही एवं अनुशासनहीनता बरतने आदि आरोपों पर आयुक्त के सचिव, दरभंगा प्रमंडल के पत्रांक-483 दिनांक 03.06.2019 द्वारा जिला पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक 1017/जि०ग्रा०वि०अ० दिनांक 27.05.2019 से गठित आरोप प्रपत्र 'क' विभाग को प्राप्त हुआ

उक्त आरोप प्रपत्र 'क' में प्रतिवेदित आरोपों पर श्री त्यागी के पत्रांक-1164 दिनांक 26.09.2019 से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं उक्त स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक-1685/जि०ग्रा०वि०अ० दिनांक 18.09.2020 से प्राप्त मंतव्य की विभाग द्वारा समीक्षा की गयी।

जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा श्री त्यागी के स्पष्टीकरण को 'स्वीकार योग्य नहीं है' प्रतिवेदित किया गया है। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री त्यागी के द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरती गयी है एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली का उल्लंघन किया गया है।

अतएव सम्यक विचारोपरान्त जिला पदाधिकारी, मधुबनी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री तेज प्रताप त्यागी, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मधेपुर, मधुबनी सम्प्रति सहायक परियोजना पदाधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मधेपुरा के विरूद्ध 'असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक' का दंड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि उक्त दंड की प्रविष्टि श्री तेज प्रताप त्यागी के सेवापुस्त में की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगन डी०, सचिव।

गन्ना उद्योग विभाग

अधिसूचना

26 अगस्त 2021

सं० सू० अ० 1–25/2021–1383––सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–5 की उपधारा–1 तथा 2 और धारा–19 के प्रावधानों के तहत गन्ना उद्योग विभाग एवं इसके अधीन कार्यालयों के लिये क्रमशः लोक सूचना पदाधिकारी/सहायक लोक सूचना पदाधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकार नियुक्ति के पूर्व के सभी अधिसूचना को अवक्रमित करते हुए निम्न रूप से संशोधित करते हुए नामित किया जाता है।

क्र० सं०	कार्यालय	लोक सूचना पदाधिकारी का पदनाम	सहायक लोक सूचना पदाधिकारी, जो लोक सूचना पदाधिकारी की अनुपस्थिति में लोक सूचना पदाधिकारी के रूप में भी कार्य करेंगे का पदनाम	अपीलीय प्राधिकार का पदनाम
1	2	3	4	5
1	सचिवालय/ ईखायुक्त कार्यालय	अवर सचिव, गन्ना उद्योग विभाग,	संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी	ईखायुक्त, बिहार।

		बिहार, पटना।		
2	सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर	सहायक ईखायुक्त उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर	कार्यालय लिपिक	संयुक्त ईखायुक्त, (मु०)बिहार, पटना।
3	उप निदेशक, ईख विकास, पटना	उप निदेशक, ईख विकास, पटना।	कार्यालय लिपिक	संयुक्त निदेशक, ईख विकास (मुख्यालय)
4	उप निदेशक, ईख विकास, पूसा, समस्तीपुर	उप निदेशक, ईख विकास, पूसा, समस्तीपुर।	कार्यालय लिपिक	संयुक्त निदेशक, ईख विकास (मुख्यालय)
5	उप निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी	उप निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी।	कार्यालय लिपिक	संयुक्त निदेशक, ईख विकास (मुख्यालय)
6	विशेष ईख पदाधिकारी, पटना	विशेष ईख पदाधिकारी, पटना।	कार्यालय लिपिक	संयुक्त निदेशक, ईख विकास (मुख्यालय)
7	विशेष ईख पदाधिकारी, गोपालगंज	विशेष ईख पदाधिकारी,, गोपालगंज।	कार्यालय लिपिक	सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर
8	ईख पदाधिकारी, रामनगर अंचल, बेतिया	ईख पदाधिकारी, रामनगर अंचल, बेतिया।	कार्यालय लिपिक	सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर
9	ईख पदाधिकारी, बेतिया	ईख पदाधिकारी, बेतिया।	कार्यालय लिपिक	सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर
10	ईख पदाधिकारी, मोतिहारी	ईख पदाधिकारी, मोतिहारी।	कार्यालय लिपिक	सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर
11	ईख पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	ईख पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर।	कार्यालय लिपिक	सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर
12	ईख पदाधिकारी, समस्तीपुर	ईख पदाधिकारी, समस्तीपुर।	कार्यालय लिपिक	सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर
13	ईख पदाधिकारी, लहेरियासराय दरभंगा।	ईख पदाधिकारी, लहेरियासराय दरभंगा।	कार्यालय लिपिक	सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर
14	ईख पदाधिकारी, पूर्णियॉ	ईख पदाधिकारी, पूर्णियॉ।	कार्यालय लिपिक	सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर
15	ईख पदाधिकारी, सिवान	ईख पदाधिकारी, सिवान।	कार्यालय लिपिक	सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर
16	ईख पदाधिकारी, गोपालगंज	ईख पदाधिकारी, गोपालगंज।	कार्यालय लिपिक	सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर।
17	सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज	विशेष ईख पदाधिकारी, गोपालगंज।	कार्यालय लिपिक	उप निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी।

18	सहायक निदेशक, ईख विकास, सिवान	सहायक निदेशक, ईख विकास, सिवान।	कार्यालय लिपिक	उप निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी।
19	सहायक निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी	सहायक निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी।	कार्यालय लिपिक	उप निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी।
20	सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया	सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया।	कार्यालय लिपिक	उप निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी।
21	सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा	सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा।	कार्यालय लिपिक	उप निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी
22	सहायक निदेशक, ईख विकास, मुजफ्फरपुर	सहायक निदेशक, ईख विकास,मुजफ्फरपुर।	कार्यालय लिपिक	उप निदेशक, ईख विकास, पूसा, समस्तीपुर।
23	सहायक निदेशक, ईख विकास,सीतामढ़ी	सहायक निदेशक, ईख विकास, सीतामढ़ी ।	कार्यालय लिपिक	उप निदेशक,ईख विकास,पूसा, समस्तीपुर।
24	सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा	सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा।	कार्यालय लिपिक	उप निदेशक, ईख विकास, पूसा, समस्तीपुर।
25	सहायक निदेशक, ईख विकास, समस्तीपुर	सहायक निदेशक, ईख विकास, समस्तीपुर।	कार्यालय लिपिक	उप निदेशक, ईख विकास, पूसा, समस्तीपुर।
26	सहायक निदेशक, ईख विकास, सहरसा	सहायक निदेशक, ईख विकास, सहरसा।	कार्यालय लिपिक	उप निदेशक, ईख विकास, पूसा, समस्तीपुर।
27	सहायकनिदेशक, ईख विकास, पूर्णियॉ	सहायक निदेशक, ईख विकास, पूर्णियॉ।	कार्यालय लिपिक	उप निदेशक, ईख विकास, पूसा, समस्तीपुर।
28	सहायक निदेशक, ईख विकास, भागलपुर	सहायक निदेशक, ईख विकास, भागलपुर।	कार्यालय लिपिक	उप निदेशक, ईख विकास, पटना ।
29	सहायक निदेशक, ईख विकास, जमुई	सहायक निदेशक, ईख विकास, जमुई।	कार्यालय लिपिक	उप निदेशक, ईख विकास, पटना।
30	सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना	सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना।	कार्यालय लिपिक	उप निदेशक, ईख विकास, पटना।
31	सहायक निदेशक, ईख विकास, गया	सहायक निदेशक, ईख विकास, गया।	कार्यालय लिपिक	उप निदेशक, ईख विकास, पटना।
32	सहायक निदेशक, ईख विकास, आरा	सहायक निदेशक, ईख विकास, (आरा) भोजपुर।	कार्यालय लिपिक	उप निदेशक, ईख विकास, पटना।

2. सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (4) के तहत गन्ना उद्योग विभाग सचिवालय स्तर पर विभागीय लोक सूचना पदाधिकारी के कृत्यों के समुचित निर्वहन हेतु संबंधित विभागीय प्रशाखा पदाधिकारी सूचना के अधिकार संबंधित संचिका विभागीय लोक सूचना पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगें।

आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट, अवर सचिव।

वित्त विभाग

आदेश

13 सितम्बर 2021

सं0 01/स्था0(ले0से0)–13/2021–6147/वि0––श्री उपेन्द्र कुमार सिंह, सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार, गृह विभाग, बिहार, पटना लेखा पदाधिकारी, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना का कार्य भी अतिरिक्त प्रभार के रुप में निष्पादित करेंगे।

2. उपर्युक्त आदेश में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,
सुरेन्द कुमार, उप–सचिव।

VIGILANCE DEPARTMENT
BIHAR, PATNA
FORM No. I

DECLARATION

(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010)

The 25th August 2021

No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-**08/2021**-4101---WHEREAS, It is alleged that **Sri Brajesh Kumar Singh, the then Block Supply Officer, Purnea, S/o Late Prithvichandra Singh, Professor Colony, Ward No.-25, Forbesganj, P.S. - Forbesganj, District - Araria,** while holding the post of **Block Supply Officer, Purnea** and serving in different capacities in the State of Bihar, committed an offence under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter was investigated in Vigilance Investigation Bureau, Bihar Case No. **126/2016** dated **28.11.2016.**

AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is prima facie case of Commission of above mentioned criminal misconduct by said **Sri Brajesh Kumar Singh, the then Block Supply Officer, Purnea,** who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means.

AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special Court Established under sub-section (1) of Section 3 of Bihar Special Courts Act, 2009;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Bihar Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence shall be dealt with under the provisions of Special Courts Act, 2009.

By the order of the Governor of Bihar,
Sd/-Illegible, Additional Chief Secretary.

The 6th September 2021

No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-**03/2020-4262--**WHEREAS, It is alleged that **Shri Kameshwar Prasad Singh, the then Assistant Engineer, Bihar Urban Infrastructure Development Corporation Ltd. (BUIDCO), Patna, S/o Late Shankar Singh, Village-Kohargarh, P.S. - Ekma, Distt. - Saran, Present Address:- Road No. 14, Rajiv Nagar, Patna,** while holding the post of **Assistant Engineer, Bihar Urban Infrastructure Development Corporation Ltd. (BUIDCO), Patna** and serving in different capacities in the State of Bihar, committed an offence under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter was investigated in Special Vigilance Unit, Bihar Case No. **01/2016** dated **03.08.2016.**

AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is prima facie case of Commission of above mentioned criminal misconduct by said **Shri Kameshwar Prasad Singh, the then Assistant Engineer, Bihar Urban Infrastructure Development Corporation Ltd. (BUIDCO), Patna,** who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means.

AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried for confiscation of the properties mentioned in the

application by the Special Court Established under sub-section (1) of Section 3 of Bihar Special Courts Act, 2009;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Bihar Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence shall be dealt with under the provisions of Special Courts Act, 2009.

By the order of the Governor of Bihar,
Sd/-Illegible, Additional Chief Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 23—571+10-डी0टी0पी0।
Website : http : / / egazette . bih . nic . in

भाग–9–ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

बिहार राज्य वित्तीय निगम
फ्रेजर रोड, पटना–1

सूचना

31 अगस्त 2021

सं0 839––सूचित किया जाता है कि बिहार राज्य वित्तीय निगम के अंशधारकों की 65वीं वार्षिक सामान्य बैठक दिनांक 22 सितम्बर, 2021 को 3.00 बजे अपराह्न में फ्रेजर रोड, पटना स्थित निगम के मुख्यालय में निम्नलिखित कार्य सम्पादन हेतु होगीः–

(i) बिहार राज्य वित्तीय निगम के अंशधारकों की 64वीं वार्षिक सामान्य बैठक दिनांक 25.11.2020 को 4.00 बजे अपराह्न के पश्चात निगम के मुख्यालय, फ्रेजर रोड, पटना–1 में सम्पन्न कार्यवाही की सम्पुष्टि;

(ii) निगम का वित्तीय वर्ष 2019–20 का लेखा, उस पर अंकेक्षक का प्रतिवेदन, लाभ–हानि का ब्योरा एवं निगम के कार्य–कलापों पर निदेशक पर्षद के प्रतिवेदन को देखना एवं उन पर विचार करना;

(iii) अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मामलों पर विचार।

टिप्पणियाँः–

1. अंशधारकों के मताधिकार एवं मत देने की प्रक्रिया का संचालन, बिहार राज्य वित्तीय निगम (मताधिकार) नियमावली, 2001 (यथा अद्यतन संशोधित) के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रियानुसार होगा।

1 (i) कोई भी व्यक्तिगत अंशधारक जो 65वीं वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने के इच्छुक हो, उन्हें अपनी पहचान के लिए एवं मताधिकार के निर्धारण के लिए, निगम द्वारा निर्धारित प्रपत्र में स्व–घोषणा–पत्र, 65वीं वार्षिक सामान्य बैठक प्रारम्भ होने से कम से कम एक घंटा पूर्व निगम मुख्यालय में उप प्रबन्धक (समन्वय) के पास भरकर जमा करना होगा, यानि इस बैठक के लिए दिनांक 22.09.2021 को 2.00 बजे अपराह्न तक जमा कर दिया जाय।

1 (ii) वे अंशधारक जो 65वीं वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने के अधिकारी हैं, वे बैठक में भाग लेने एवं मतदान करने के लिए अपने बदले किसी प्रतिपत्री धारक (प्रॉक्सी) की नियुक्ति करने के भी अधिकारी हैं एवं उस प्रतिपत्री धारक (प्रॉक्सी) को निगम का अंशधारक होना आवश्यक नहीं है।

1 (iii) प्रति–पत्रियों को प्रभावकारी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि प्रतिपत्री को निगम द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में भरकर निगम के मुख्यालय में उप प्रबन्धक (समन्वय) के पास कार्यालय अवधि में बैठक की निर्धारित तिथि से स्पष्टतः 7 (सात) दिन पूर्व निश्चित रूप से जमा कर दिये जायें, अर्थात 65वीं वार्षिक सामान्य बैठक दिनांक 22 सितम्बर, 2021 हेतु इन्हें दिनांक 15 सितम्बर, 2021 के 5.00 बजे अपराह्न तक जमा कर दिया जाए।

1 (iv) कोई भी व्यक्ति, निगम के किसी भी सामान्य बैठक में किसी कम्पनी अथवा निगम/निकाय के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में न तो भाग ले सकता है और न ही मतदान कर सकता है, यदि उस व्यक्ति को सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया हो, का उस संकल्प की सच्ची प्रतिलिपि उस बैठक के, जिसमें यह संकल्प पारित हुआ है, अध्यक्ष के द्वारा सत्यापित करते हुए निगम के मुख्य कार्यालय में उप प्रबन्धक (समन्वय) के पास सामान्य बैठक की निर्धारित तिथि से कम से कम 4 (चार) स्पष्ट दिन पूर्व जमा नहीं किया गया हो अर्थात दिनांक 22 सितम्बर, 2021 की बैठक के लिए दिनांक 18 सितम्बर, 2021 के 5.00 बजे अपराहन तक इसे निर्धारित स्थान पर जमा किया जाना आवश्यक है। सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति उपरोक्त संकल्प की सत्यापित प्रतिलिपि जमा करने के पश्चात उस बैठक हेतु जिसके लिए वह नियुक्ति हुई है, वापस नहीं ली जा सकती है।

2. अंशधारक कृपया ध्यान देंगे कि यह प्रावधान, अन्य के अलावा, निगम/निकाय के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक या अन्य पद धारकों पर भी लागू होता है एवं इस प्रावधान के अनुपालन के वगैर वे पदधारक भी बैठक में उपस्थित होने अथवा बैठक में विचारार्थ किसी प्रस्ताव पर मतदान करने के अधिकारी नहीं होंगे।

3. स्व–घोषणा पत्र, प्रति–पत्री या प्राधिकरण का संकल्प, जो भी जहाँ लागू हो, का विहित प्रपत्र निगम के उप प्रबन्धक (समन्वय) के कार्यालय से किसी कार्य–दिवस को कार्यालय अवधि में प्राप्त किया जा सकता है।

4. यह ध्यान दें कि उपरोक्त प्रक्रिया का अनुसरण निगम के सभी सामान्य बैठकों में किया जायेगा तथा हर बैठक के लिए नए सिरे से विशिष्ट स्व–घोषणा–पत्र/प्रति–पत्री/प्राधिकरण के लिए संकल्प की आवश्यकता होगी।

5. अंशधारकों से अनुरोध है कि वे निर्धारित तिथि एवं समय पर उपरोक्त बैठक में भाग लेने की कृपा करें एवं पुनः अनुरोध है कि वे कृपया सुनिश्चित करें कि स्व–घोषणा पत्र, प्रति–पत्री या प्राधिकरण के लिए संकल्प, जो भी उनपर लागू हो प्रत्येक के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर ही, विहित प्रपत्र में सम्यक रूप से भरकर एवं सभी तरह से पूर्ण कर निगम के प्रधान कार्यालय में उप प्रबन्धक (समन्वय) के पास, जमा कर दिया जाय, अन्यथा वे निगम के अंशधारकों की 65वीं वार्षिक सामान्य बैठक में भाग लेने एवं किसी प्रस्ताव पर मतदान करने के अधिकारी नहीं होंगे।

6. निगम के अंशधारकों का खाता दिनांक 8 सितम्बर, 2021 से दिनांक 22 सितम्बर, 2021 (दोनों दिन मिलाकर) बंद रहेगा।

7. अंशधारकों से अनुरोध है कि उनके परिवर्तित पते, यदि कोई हो, वित्तीय निगम को सूचित करें।

8. अंशधारकों की सूची निगम मुख्यालय में अंशधारकों द्वारा 10 रुपया (दस रुपया) प्रति सूची की दर पर खरीदने हेतु 65वीं वार्षिक सामान्य बैठक की निर्धारित तिथि से 3 सप्ताह पूर्व यथा दिनांक 31 अगस्त, 2021 से उपलब्ध होगी।

निदेशक पर्षद के आदेश से,
दिलीप कुमार, अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक।

———————

सूचना

No. 899--I, Kumar Jitendra Jyoti S/o Late Amrendra Prasad Verma, Ancestral origin of Makkhachak, Bakhri Bazar, Begusarai and Resident of Yarpur, PS- Gardanibagh, Patna do solemnly declare before Executive Magistrate, Patna Sadar vide affidavit no. 3921, dated 07.08.2021 that in entire educational certificate my name is KUMAR JITENDRA, but I am known as KUMAR JITENDRA JYOTI through other Govt documents. KUMAR JITENDRA and KUMAR JITENDRA JYOTI are the names of the same person. Henceforth I will be known as KUMAR JITENDRA JYOTI for all purposes.

Kumar Jitendra Jyoti.

———————

सं0 900––मैं सीमा प्रकाश पति–डा0 देव प्रकाश पता–पुत्री–रमेश प्रसाद दास, ग्राम–सोनेखाप, पोस्ट थाना–शेरघाटी, जिला–गया, बिहार, पिन–824211, पहले मेरा नाम सीमा कुमारी था, अब मै सीमा प्रकाश के नाम से जानी जाऊँगी। शपथपत्र सं0–9122, दिनांक 29.09.2020।

सीमा प्रकाश।

———————

No. 901––**I, SAMIR** Kumar R/o H.No. 49 LIC Colony, PO-Lohia Nagar, PS-Patrakar Nagar, Dist-Patna-20, changed my daughter name from Shambhavi to Shambhavi Narayan, Affid. No. 2462 dated 28.01.2021.

SAMIR Kumar.

———————

No. 902––**I, SAMIR** Kumar R/o H.No. 49 LIC Colony, PO-Lohia Nagar, PS-Patrakar Nagar, Dist-Patna-20, changed my son name from Samarth to Samarth Labh, Affid. No. 2463 dated 28.01.2021.

SAMIR Kumar.

———————

सं0 903––मैं Rajdeep Priya पुत्री लक्ष्मण पंडित निवास–गोला रोड, त्रिमूर्ति नगर, दानापुर, पो0 + थाना–दानापुर जिला–पटना शपथपत्र सं० 204 तारीख 20.01.2021 द्वारा यह घोषणा करती हूँ कि मेरे मैट्रिक के सर्टिफिकेट में गलती से मेरा नाम Rajdeeppriya अंकित हो गया है। सही नाम Rajdeep Priya है।

Rajdeep Priya.

No. 903––I, Rajdeep Priya, D/o Lakshman Pandit, R/o Gola Road, Trimurty Nagar, Danapur declare vide Affdvt. No.- 204, Dated 20-01-2021. There is an error in my name in 10th marksheet (i.e. Rajdeeppriya). There is no gap in between my 1st name & last name, hence my

correct name is & Rajdeep Priya. I rectify my name as Rajdeep Priya, so that in further I will not face any issue regarding my name.

Rajdeep Priya.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 23—571+10-डी०टी०पी०।
Website : http://egazette.bih.nic.in

बिहार गजट

का

पूरक (अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं0 गव्य (ग–1) 01 / 2006––898

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

(गव्य विकास)

संकल्प

31 अगस्त 2021

Sub:--Reorganisation of the Board of Directors of Bihar State Dairy Corporation Ltd. Patna

विषय :– बिहार स्टेट डेयरी कॉरपोरेशन लि0, पटना के निदेशक पर्षद का पुनर्गठन।

विभागीय संकल्प संख्या–206 दिनांक 02.02.2018 द्वारा बिहार स्टेट डेयरी कॉरपोरेशन लि0 के निदेशक पर्षद का पुनर्गठन निम्नवत किया गया था :–

(1)	डा0 एन0 विजयलक्ष्मी, भा0 प्र0 से0 सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना।	अध्यक्ष
(2)	श्री उदयन मिश्रा, संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना।	निदेशक
(3)	श्रीमती शिखा श्रीवास्तव, आई0आर0टी0एस0 प्रबंध निदेशक, कम्फेड, पटना।	निदेशक
(4)	श्री अजय कुमार झा, निदेशक, गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना–सह– प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट डेयरी कॉरपोरेशन लि0, पटना।	निदेशक

उपर्युक्त निदेशक पर्षद में पदाधिकारियों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है एवं क्रमांक (4) के पदाधिकारी वार्द्धक्य सेवा निवृत हो चुकें है, फलस्वरूप वर्त्तमान में बिहार स्टेट डेयरी कॉरपोरेशन लि0, पटना के निदेशक पर्षद का पुनर्गठन निम्नवत किया जाता है :–

(1)	डा0 एन0 विजयलक्ष्मी, भा0 प्र0 से0 प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना।	अध्यक्ष
(2)	श्रीमति अभिलाषा कुमारी शर्मा, भा0 प्र0 से0 संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना।	निदेशक
(3)	श्रीमती शिखा श्रीवास्तव, आई0आर0टी0एस0 प्रबंध निदेशक, कम्फेड, पटना।	निदेशक
(4)	श्री संजय कुमार, निदेशक, गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना–सह– प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट डेयरी कॉरपोरेशन लि0, पटना।	निदेशक

उपरोक्त क्रमांक 1 एवं 4 में अंकित पदाधिकारियों का कार्यकाल संकल्प निर्गत की तिथि से 03 (तीन) वर्षो के लिए तथा क्रमांक 2 एवं 3 में अंकित पदाधिकारियों का कार्यकाल संकल्प निर्गत की तिथि से 01 (एक) वर्ष के लिए होगा।

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति बिहार स्टेट डेयरी कॉरपोरेशन लि0, पटना के निदेशक पर्षद के सभी निदेशकों को भेज दी जाय।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प आम जानकारी के लिए राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
मो0 वसीम अहमद, उप—सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 23—571+10-डी0टी0पी0।
Website : http : //egazette . bih . nic . in